वादी अनुपस्थित, उसकी ओर से कोई अधिवक्ता भी उपस्थित नहीं।

> प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा श्री शिवनाथ शर्मा अधिवक्ता। प्रतिवादी क्रमांक 02 पूर्व से एक पक्षीय। प्रकरण आज वादी साक्ष्य हेतु नियत है।

बार—बार पुकार लगवाये जाने पर वादी या उसकी ओर से कोई अधिवक्ता न्यायालय कक्ष में उपस्थित नहीं हुआ।

वादी को साक्ष्य प्रस्तुति हेतु दिनांक 28/02/18 एवं आज दिनांक : 16/03/2018 को दो अवसर प्रदान किये जाने के बाद भी वादी की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई।

इस प्रकार वादी द्वारा साक्ष्य प्रस्तुति का अभाव एवं उसकी अकारण अनुपस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए वादी का वाद आदेश 17 नियम 03 सीपीसी के प्रावधान के अन्तर्गत निरस्त किया जाता है।

व्यय तालिका बनाई जाये।

प्रकरण का परिणाम संबंधित पंजी में दर्ज कर अभिलेख व्यवस्थित कर नियत समयावधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

।।।, सी.जे.।।, गोहद